हर इन्सान-एक समान

एक राष्ट्र-एक जान

मेरा भारत महान

समता ज्योति

वर्ष : 14 अंक : 08 देश के राष्ट्रवादी नागरिकों को समर्पित मासिक-पत्र 25 अगस्त, 2023

Website: www.samtaandolan.co.in, E-mail: samtaandolan@yahoo.in मूल्य: प्रति अंक-5 रूपये, सालाना- 50 रूपये (चार पेज)

"जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।"

-पं. जवाहरलाल नेहरू
(27 जून, 1961 को प्रधानमंत्री के रूप में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से)

पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 21 से 27 प्रतिशत किये जाने की सरकार की घोषणा

50 प्रतिशत से ऊपर आरक्षण असंवैधानिक गहलोत हैं कि मानते ही नहीं!

ओबीसी में 6 प्रतिशत अति पिछड़ी जातियों के लिए रहेगा आरक्षित

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आरक्षण को लेकर बड़ा एलान किया है। इसमें राजस्थान में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए 21 प्रतिशत आरक्षण के साथ 6 प्रतिशत अतिरिक्त आरक्षण दिया जायेगा, जो ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित होगा। ओबीसी का आरक्षण बढाकर 27प्रतिशत करने के बाद राजस्थान में कुल आरक्षण 70 प्रतिशत हो जाएगा।

एससी-एसटी की मांग का भी परीक्षण

गहलोत ने बताया कि एससी-एसटी के विभिन्न संगठन भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की मांग लगातार कर रहे हैं। सरकार इस मांग का भी परीक्षण करवा रही है। राजस्थान में जातिगत जनगणना शुरू होगी। जाति के आधार पर जिसका जितना हक है, उसे मिलेगा।

अति पिछड़ा वर्ग की पांच प्रतिशत बढोत्तरी अभी भी सुप्रीम कोर्ट-हाई कोर्ट में लम्बित

वर्ष 2008 से अब तक पिछड़ा वर्ग आरक्षण बढाने का छठा प्रयास हो रहा है। पहले पांच प्रयास विशेष पिछड़ा वर्ग की पांच जातियों को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए हुए और चार साल पहले अति पिछड़ा वर्ग को पांच और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जा सका। इसमें से अति पिछड़ा वर्ग का मामला सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट में लम्बित है।

2008 से अब तक का घटनाक्रम

30 जुलाई 2008- अति पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत एवं 14 प्रतिशत आरक्षण आर्थिक पिछड़े वर्ग को देने के लिए कानून पारित किया, जो 2009 में लागू हुआ।

22 दिसम्बर 2010- हाईकोर्ट ने कानून की पालना रोक दी एवं आर्थिक पिछड़ा वर्ग के 14 प्रतिशत पर पुनर्विचार करने को कहा।

30 नवम्बर 2012- राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग का 5 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्णय।

29 जनवरी 2013- राजस्थान हाईकोर्ट ने विशेष पिछड़ा वर्ग के 5 प्रतिशत आरक्षण पर रोक लगा दी।

04 मार्च 2013- हाईकोर्ट ने एसबीसी को 1 प्रतिशत की छूट देते हुये आरक्षण 50 प्रतिशत की सीमा में रखने का आदेश दिया।

16 अक्टूबर 2015- राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग को 5 प्रतिशत आरक्षण का नया कानून बनाया।

09 दिसम्बर 2016- हाईकोर्ट ने इस कानून को रद्द कर दिया।

17 नवम्बर 2017- सरकार ने एसबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण देने के लिए कानून बनाया।

20 दिसम्बर 2017- एसबीसी को 5 प्रतिशत आरक्षण लागू किया। बाद में लाभ 1 प्रतिशत दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट में लम्बित।

13 फरवरी 2019- 5 प्रतिशत आरक्षण के लिए कानून में संशोधन मामला सुप्रीम कोर्ट-हाईकोर्ट में लम्बित।

आसान नहीं होगा आरक्षण बढाना समता आन्दोलन ने जारी किया वीडियो कहा गुमराह किया जा रहा है

समता आन्दोलन समिति ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर बताया गया है कि ओबीसी एवं एससी-एसटी को आरक्षण बढाने की घोषणा कर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जनता को गुमराह कर रहे है, जातिवादी राजनीति कर रहे है। वोटों की राजनीति कर रहे है। समता आन्दोलन समिति के अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने वीडियो में बताया है कि :-

* सरकार को संवैधानिक प्रावधान मालुम है। सरकार को पता है कि संवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत वे क्या कर सकते है। लेकिन चुनाव आने के कारण ऐसी घोषणाएँ कर रहे है।

* अशोक गहलोत ने इस घोषणा में जनसंख्या को आधार बताया है। आनुपातिक आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 334 के अन्तर्गत है जो केवल राजनैतिक आरक्षण की बात करता है। ये संवैधानिक प्रावधान है। अनुच्छेद 15 व अनुच्छेद 16 के तहत आरक्षण जनसंख्या के आधार पर नहीं है। ये जो आनुपातिक आरक्षण है ही नहीं उसको कैसे बढा सकते है। ये संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन है।

* अनुच्छेद 16 में आरक्षण पर्याप्त प्रतिनिधित्व की बात करता है। अर्थात जनसंख्या के 50 प्रतिशत के बराबर सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिल गया हो तो आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा। जैसे ओबीसी की जनसंख्या 45 प्रतिशत है तो कुल सरकारी नौकरियों का 50 प्रतिशत अर्थात 22.5 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व पर्याप्त माना गया है, जबकि ओबीसी का प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरियों में 50 प्रतिशत से अधिक हो चुका है। इसके बाद तो सरकार को 1 प्रतिशत भी आरक्षण बढाने का अधिकार नहीं है।

* सरकार की दिनांक 11 सितम्बर 2011 की अधिसूचना के तहत ओबीसी का प्रतिनिधितव 21 प्रतिशत हो जायेगा तो पर्याप्त प्रतिनिधित्व माना जायेगा। इसके बाद तो सरकार को आरक्षण बढाने का कोई अधिकार नहीं है।

* विशेष पिछड़ा वर्ग का 5 प्रतिशत आरक्षण भी न्यायालय में लम्बित है। मुख्यमंत्री गहलोत ने संवैधानिक शपथ का उल्लंघन करते हुये 5 प्रतिशत आरक्षण दिया है अत: याचिका में इन्हें भी इन पर्सन पार्टी बनाया हुआ है। न्यायालय का जब भी फैसला आयेगा इन्हें दण्डित किया जायेगा।

* नौ जजों की संविधान पीठ का फैसला है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं हो सकता। 50 प्रतिशत की सीमा अनुच्छेद 16(4)के अन्तर्गत है। ईडब्ल्यूएस को आरक्षण 16(6) के अन्तर्गत दिया गया है। जिसमें 50 प्रतिशत की सीमा लागू नहीं है।

मुख्यमंत्री गहलोत जनता को गुमराह कर रहे है, वोटों के लिए जातिवादी राजनीति कर रहे है। किसी भी सूरत में आरक्षण बढाया नहीं जा सकता। यदि बढाया तो न्यायालय में इसे चेलेंज किया जायेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यदि वास्तव में पिछड़ी जाति व एससी-एसटी का भला चाहते है तो:-

* ओबीसी का वर्गीकरण किया जाए या ओबीसी में ईडब्ल्यूएस के पांच मानदण्ड लागू किया जाए या चार पांच जातियों को बाहर किया जाए।

* एससी-एसटी में क्रिमीलेयर को लागू किया जाए। ताकि गरीब एवं वंचित लोगों का भला हो सके।

आरक्षण में बढोत्तरी पर कानूनविदों की राय

पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 21 से बढाकर 27 प्रतिशत करने की मुख्यमंत्री की घोषणा पर कानूनविदो का कहना हैं कि कोर्ट बार बार आरक्षण को 50 प्रतिशत की सीमा से पार नहीं करने की कहता है, अध्ययन के आधार पर विशेष परिस्थिति प्रमाणित होने पर ही यह सीमा पार हो सकती हैं।

मराठा आरक्षण प्रकरण में भी यह प्रकरण शामिल था, सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को अनुमति नहीं दी। हाईकोर्ट में आरक्षण में बढोतरी के मामले पर सुनवाई कर चुके दो न्यायधीशों का कहना है कि ओबीसी आरक्षण विशेष परिस्थितियों में आयोग की सिफारिश पर ही बढाया जा सकता है, इसके विपरीत कुछ करना सविंधान के खिलाफ होगा।

आरक्षण बढाने के लिए पहले सर्वे जरुरी हैं फिर जाति के आधार पर आनुपातिक आरक्षण की क्या स्थिति है? इसके बाद आयोग की सिफारिश पर सरकार परीक्षण कर आरक्षण बढा सकती है। इसके लिए कानून में संशोधन करना होगा। तब ही आरक्षण में बढोतरी सविंधान के अनुरूप होंगी।

कानूनी रूप से विशेष परिस्थिति के अलावा 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सरकार को तो जो करना हैं कर देगी। कोर्ट के बार बार रोकने पर भी सरकार आरक्षण को बढा चुकी हैं । राजस्थान में आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत की सीमा पार हो चुकी हैं। वैसे इसमें वर्तमान में रोक नहीं हैं, रोक लग भी जाती तो मामला कोर्ट के ऊपर डाल दिया जाता। वर्तमान में 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण मामला न्यायालय में लम्बित चल रहा है।

अध्यक्ष की कलम से

आभार मोदी जी

साथियों,

संकेत साफ हैं कि एससी और एसटी का मुद्दा अब प्राय: पूरी तरह नेपथ्य में जाता दिख रहा है। मायावती निजी स्वार्थ के चलते अब केवल एक नाम है। रामविलास पासवान दिवंगत हुए। उदित राज राजनीति की चटनी चाटकर नकारा हुए। जीतनराम मांझी सत्ता के कोबरे से डसे गये। राजभर बस मिमियाती आवाज भर है। नये नेतृत्व के रूप में उभरने का प्रयास करते चन्द्रशेखर ''रावण'' अपने बनाये व्यूह में स्वयं फंसकर अटक गये।

हो सकता है एससी-एसटी के निर्वात को भरने के लिए देश में ओबीसी का कार्ड खेला गया हो। लेकिन बहुत ही चतुराई से तुरूप के इक्के के रूप में जात आधारित जनगणना की मांग कोई साधारण मांग नहीं है। पहला तो ये कि ओबीसी नेताओं में नेतृत्व की होड़ लगेगी। ये अशोक गहलोत और नीतीश कुमार की कार्यप्रणाली से साफ दिखने लगा है। बल्कि ओबीसी आरक्षण बढाने का झूठा सपना बेचकर अशोक गहलोत खुद को मीर दिखाना चाहते हैं।

अब ये तो साफ हो गया है कि एससी-एसटी-ओबीसी का आरक्षण पिछड़ेपन के आधार पर नहीं बल्कि शुद्ध जात के आधार चल रहा हैं। ऐसे में यदि जात के आधार पर जनगणना होगी तो स्पष्ट है कि सामान्य वर्ग तो पूरी तरह ''यादों की बारात'' बनने वाला है। क्योंकि परिवार नियोजन का राष्ट्रीय दायित्व केवल इन्होंने ही संभाला है। अत: भारत देश के सम्पूर्ण सामान्य वर्ग के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार मानना चाहिये जिन्होंने देश के प्रज्ञा तत्व को बचाने के लिए दस प्रतिशत ईडब्ल्यूएस का आरक्षण लागू किया।

जय समता

सम्पादकीय

''मणिपुर बनाम टीएसपी राजस्थान ''

खबर अच्छी नहीं है। बल्कि भविष्य के प्रति भयानक सन्देश है एक पुराने और बड़े अखबार में खबर दी है, मणिपुर के 10 विधायक अब विधानसभा जाने की हिम्मत नहीं जूटा पा रहे हैं। ''पूर्वोत्तर के महत्वपूर्ण सेवन सिस्टर्स'' में से एक प्रदेश मणिपुर पर राजनैतिक चर्चा और सरगर्मी अब किसी से छुपा हुआ तथ्य नहीं है। लेकिन इससे अलग इस खबर पर गंभीर मनन मंथन इसलिए आवश्यक है की इसका सीधा सम्बंध राजस्थान के टीएसपी क्षेत्र से है। हाँ तो मणिपुर के दस विधायकों की चिंता ये है कि वे सभी कुकी,जोमी समुदाय से है और विधानसभा मेतेई समुदाय के गढ इम्फाल में है। और वहां जाने पर उनकी जान को खतरा हो सकता है? क्योंकि विगत तीन-साढे तीन महीनों के जातीय उपद्रवों में 160 से अधिक निर्दोष नागरिको की मौत हो चुकी है। विधायको में इस तरह का भय व्याप्त होना लोकतंत्र के लिये शुभ संकेत नहीं है। नैतिक और सामाजिक दृष्टि से होना तो ये चाहिए था कि ये दसों विधायक घोषणा करते कि वे जनप्रतिनिधि का दायित्व निभाने के लिए विधानसभा सत्र में अवश्य भाग लेंगे। भले ही उनकी जान चली जावे।

उपरोक्त हालत आज के है। लेकिन सरकारी आश्वासन और सुरक्षा के बाद यदि वे विधानसभा सत्र में शामिल हो भी जाते है तो प्रश्न और चिंता फिर भी वही रहते है। चिंता को दूर करने के लिए प्रश्न का हल जरुरी है। और प्रसन ये है कि हाईकोर्ट के जिस फैसले के बाद मणिपुर जल उठा तो क्या ये उचित नहीं था कि सरकार तत्काल ही सुप्रीम कोर्ट में जाने की घोषणा करके उस हाईकोर्ट आदेश को स्टे करवा देती ?् हालाँकि कुछ महीनों के बाद हो सकता था की सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट मणिपुर के आदेश को संवेधानिक आधार करार दे सकता था। लेकिन इस दौरान सरकार और कुकी -मेतेयी समाज के पास समय और अवसर होता कि वे मिल बैठकर कुछ बीच का रास्ता निकालते।

ये जो बीच का रास्ता जो होता है वह लोकतंत्र का प्राणतत्व होता है और राजस्थान में गुर्जर-मीणा हिंसक टकराव 2005 के दौरान इसका सफल प्रयोग हुआ भी था। मणिपुर और राजस्थान में जातीय समाजों का खूनी ठकराव तात्विक दृस्टि से एक दम समान घटनाएं है। और वो तत्व है ''जात आधारित आरक्षण'' । दूसरी तरफ यदि मणिपुर की घटनाओं पर मनन करे तो राजस्थान के प्रतापगढ, बांसवाडा, डुंगरपुर जिलों में फैले टीएसपी क्षेत्र में आरक्षित और अनारक्षित के बीच के रिश्ते ''तनावपूर्ण शान्ति'' जैसे ही है। हमें प्रतापगढ के एक अनारक्षित समाज के नेता ने कहा कि ''हम तो यहाँ ऐसे रह रहे है जैसे पीओके में रह रहे हो''। ये स्टेटमेंट अत्यंत घातक और भविष्य के लिए चेतावनी भरा है।

जब से लोकतंत्र बदलकर पार्टीतंत्र हुआ है तब से जो ''लोक'' की उपेक्षा शुरू हुई वह आगे चलकर और भी गम्भीर और गहरी होने की संभावना है क्योंकि पार्टीतंत्र अब धीरे धीरे राजतंत्रात्मक संकेत और सन्देश देने लगा है। सरकार अपने हित में ''कोर्ट के स्टे'' को सुरक्षाकवच मानकर चलने लगी है। और पिछले कुछ सालों से तो ये साफ दिखाई देने लगा है कि सरकारे सवैंधानिक मूल्यों के स्थान पर ''पार्टी लाइन'' पर अधिक काम करने लगी हैं। इसी कारण आदोलतों का हस्तक्षेप बढा है। बल्कि कई बार तो ये लगता है कि अदालते ही देश प्रदेश को चला रही हैं। यह शुभ सन्देश नहीं है। जय समता।

- योगेश्वर झाड़सरिया

जाति जनगणना परिभाषा के अनुसार हो

सुप्रीम कोर्ट से हरी झण्डी के बाद बिहार में जाति के आधार पर जनगणना शुरू हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट दुबारा इस विषय पर सुनवाई करेगा कि जातिगत जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किये जाये अथवा नहीं। ऐसा इसलिए कि पिछली बार जो जातिगत जनगणना हुई थी उसके आंकड़े आज तक सामने नहीं आये है क्योंकि स्वयं संसद में उस पर रोक लगाई थी।

जातिगत जनगणना पर विचार करते समय दो प्रश्न मन में आते है। पहला ये कि जनगणना का काम तो केन्द्र सरकार का है फिर सभी प्रदेशों में से केवल बिहार को ही यह अधिकार क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न ये है कि इससे जातिवादी आरक्षण का रक्तबीज कभी भी समाप्त होने वाला नहीं है। दोनों बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों ने वर्षों तक माथापच्ची और प्रयास करके एससी-एसटी आरक्षण को लगभग अप्रभावी बना दिया था। वो फिर से नई बहस के साथ मुख्य मुद्दों में शामिल हो जायेगा।

ये तो साफ हो चुका है कि जातिगत जनगणना की मांग ओबीसी वर्ग द्वारा उठाई गई है। और केन्द्र सरकार ने रोहिणी आयोग की सिफारिशों को मानने का मानस स्पष्ट कर दिया है। हो सकता है कि इसकी भनक लग जाने के कारण ही ओबीसी वर्ग चौकन्न और आक्रमक हो गया हो? लेकिन एक तरफ एससी-एसटी के सावधान लोगों ने एक नायाब तरीका ढूंढ निकाला है। उसके अनुसार शिक्षा विभाग के एक आरक्षित कर्मचारी ने नाम बदलने की सारी कागजी औपचारिकताएँ पूरी करके स्वयं को पंडित बना लिया है। इसकी सरकारी स्वीकृति भी जारी हो चुकी है।

जात का तो पता नहीं लेकिन अपना वर्ण बदलने की अनेक घटनाएँ शास्त्रों में दर्ज है। जिनमें सबसे अधिक चर्चित है राजा विश्वामित्र का क्षत्रिय से हटकर स्वयं को ब्राह्म्ण बनाने की जदोजहद। इसके लिए उन्होंने सैकड़ों दिनों तक कठिन और घोर तपस्या की। त्रिशंकु को लेकर विवादित भी हुए। ऐसा ही उदाहरण ऋषि कोहट को है जिसके पुत्र ने दण्डी नामक अंहकारी ब्राह्म्ण को शास्त्रात में हराकर उन्हें प्राणदान भी दिया।

कानूनी कागजों के आधार पर जात बदलने के जो फलितार्थ होंगे वे भविष्य में जातीय वैमन्सय को बढा सकने वाला कारक भी हो सकता है। दूसरी बात इससे अदालतों की गति भी ऋणात्मक होने की संभावना है। इस तरह कानून के कागजों के बल पर जात बदलने वाले असंदिग्ध रूप से आगे चलकर इसका दुरूपयोग करेंगे। ऐसे कतिपय उदाहरण देखने को भी मिले है। इसके बाद मारपिटाई, कोर्ट-कचहरी, खाप-पंचायत आदि से पार हत्या तक के उदाहरण देखने को मिल रहे है।

कानून के बल पर जाति जनगणना के माध्यम स्वयं को विशेष दिखाने वाले लोग क्या अपने जिनोम में परिवर्तन कर पायेंगे? ये तथ्य कोरी भावुकता नहीं वरन इस तथ्य पर आधारित है कि कानून अप्रतिम ताकत रखने के बावजूद सामाजिकता को प्रभावित करने का साधन नहीं बन सकता है। सभी जानते है कि 1984 में दहेज विरोधी कानून लागू होने के बाद दहेज लेना-देना तो रूका नहीं बल्कि परिवार टूटने की घटनाएँ इतनी बढ गई कि अलग से परिवार अदालते बनानी पड़ी। ठीक ऐसा ही नहीं उससे भी भयानक असर बलात्कारी को फांसी की सजा कानून का असर देखने को मिल रहा है। आज देखने में आ रहा है कि बलात्कार की अधिकांश घटनाओं में बलात्कारी अपने शिकार की हत्या कर देता है। तो इस तरह के कानूनों का फलीतार्थ शून्य से अधिक क्या कहा जायेगा??

अदालतों के माध्यम जाति आधारित जनगणना तो करी और करवाई जा सकती है लेकिन उसके आधार पर केवल क्षेत्रीय स्तर पर निहित स्वार्थ की पूर्ति तो की जा सकती है लेकिन दूरगामी और स्थायी परिणाम प्राप्त कर पाना कठिन है। इसका असर केन्द्र देश राज्य समबन्धों पर भी होगा। अब तक का अनुभव बताता है कि केन्द्र की सरकार जात आधारित बहसीपन को समाप्त करना चाहती है लेकिन जात के आधार पर बनी अथवा पोषित पार्टियाँ इसे फिर-फिर रक्तबीज बनाये रखने को आमदा दिखती है। हालांकि अब जाति आधारित जनगणना को रोका नहीं जा सकता है। लेकिन प्राप्त होने वाले आंकड़ों को जारी करने से पहले उन्हें एससी-एसटी, ओबीसी... आदि-आदि की परिभाषाओं की कसौटी पर भी कसा जाना जरूरी है। यदि ऐसा होता है तो कानून की दृष्टि से जाति आधारित जनगणना का नवनीत प्राप्त किया जा सकता है और वह उपयोगी और फलीभूत भी होगा। इसलिए जातिगत गणनकों को जातियों की परिभाषाएँ उपलब्ध करवाई जानी चाहिये ताकि वे उसके प्रकाश में सही जाती लिख सके। तथ्य ये बताते है कि आज के दिन एससी-एसटी, ओबीसी का प्रसाद वे लोग लूट रहे है जो परिभाषा के चौखटे में कहीं भी फिट नहीं बैठते है। इसे आगे यह भी किया जा सकता है कि प्रत्येक प्रांत में सामाजिक न्याय मंत्रालय भी चल रहा है। उसको भी इस जाति आधारित जनगणना में नोडल अफसर बनाया जा सकता है।

- समता डेस्क

कानून के बल पर जाति जनगणना के माध्यम स्वयं को विशेष दिखाने वाले लोग क्या अपने जिनोम में परिवर्तन कर पायेंगे? ये तथ्य कोरी भावुकता नहीं वरन इस तथ्य पर आधारित है कि कानून अप्रतिम ताकत रखने के बावजूद सामाजिकता को प्रभावित करने का साधन नहीं बन सकता है। सभी जानते है कि 1984 में दहेज विरोधी कानून लागू होने के बाद दहेज लेना-देना तो रूका नहीं बल्कि परिवार टूटने की घटनाएँ इतनी बढ गई कि अलग से परिवार अदालते बनानी पड़ी।

कानूनी कागजों के आधार पर जात बदलने के जो फलितार्थ होंगे वे भविष्य में जातीय वैमन्सय को बढा सकने वाला कारक भी हो सकता है। दूसरी बात इससे अदालतों की गति भी ऋणात्मक होने की संभावना है। इस तरह कानून के कागजों के बल पर जात बदलने वाले असंदिग्ध रूप से आगे चलकर इसका दुरूपयोग करेंगे।

पौराणिक कथन : ''ध्रुव''

स्वायंयुव मनु के पुत्र राजा उत्तामपाद और सुनीति के पुत्र। गगन में दिखाई देने वाला ध्रुव स्थान इन्हीं का है।

बिन खम्भों की छतरी कैसी,
जातिवाद की पत्री जैसी।
जिसका भय आतंकी सम है-
करती जन की ऐसी तैसी।।

कविता

लगा ठहाका हॅसते चोर

शोर है
बहुत अधिक शोर है
सभी दिशाओं, चारों ओर है
सबसे अधिक
संवेदनाओं का शोर है
बाहर तो है ही है
मन के भीतर भी शोर है
शोर शोर शोर
बहुत ज़ोर का शोर
पंचायत से पंथ भवन तक
सबका अपना शोर
ये कहते उनका शोर
वे कहते इनका शोर
खुले घूमते चोर
वे कहते मत कर शोर
ये कहते मतकर शोर
लगा ठहाका हंसते चोर
तरह तरह हर तरह के चोर
वर्ण धर्म कांधों पर टांगे
जातिवादी उससे आगे
सभी दीखते भागे भागे
पता नहीं है कौन भगाता.
जैसे कठपुतली के धागे
इतिहासों की बलि वेदी पर
वर्तमान पीड़ा का शोर
नीति नियंता नज़र झुकाए
कहता चले न मेरा जोर
आओ. आओ कोई आओ
मुझे नहीं औरों को बचाओ
मिलके सभी लगाओ जोर
सबकुछ सुनकर थोड़ा हिलकर
लगा ठहाका हंसते चोर
बहुरंगी बेरंगी चोर
शोर शोर शोर।

-- योगेश्वर --

दूसरा उपाय या रास्ता

गतांग से आगे:

अभी तीन-चार वर्ष पूर्व की बात है, केरल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ए.के., एंटनी, जो हाल में हुए सबसे ईमानदार मुख्यमंत्रियों में से एक रहे हैं, ने सचेत किया कि राज्य में अल्पसंख्यकों द्वारा काफी लाभ हडप लिया जा रहा है । उन्होंने यह भी संकेत किया कि उनका वोट बैंक के रूप में संगठित होना किसी-न-किसी समस्या को जन्म देगा । फिर क्या था, उनकी भर्त्सना का दौर शुरू हो गया और अंततः इसकी कीमत उन्हें अपना पद छोडकर चुकानी पडी ।

अभी दो वर्ष पहले केरल में फिर इसी तरह का सिलसिला देखा गया। हम सभी जानते हैं कि श्री नारायण गुरू कितने महान् सुधारक थे और यह भी जानते हैं कि लाखों लोगों-विशेषकर अछूत एझवों के जीवन में उन्होंने कितना बडा परिवर्तन लाया था । एस.एन.डी.पी. आज एझवा संगठन है । 2जनवरी, 2005 को नायर सर्विस सोसाइटी के एक महत्वपूर्ण सम्मेलन में एस.एन.डी.पी. के महासचिव वेल्लापली नटेसन ने कहा कि राज्य में अल्पसंख्यक समुदायों के लोग धर्मनिरपेक्षता के नाम पर सारा लाभ हडप कर रहे हैं। वे बहुसंख्यक समुदाय के हिस्से को भी निगलते जा रहे हैं, केरल में स्थिति ऐसी हो गई है कि बहुसंख्यक समुदाय के सदस्यों के सामने धर्म -परिवर्तन करने या आत्महत्या करने के अलावा इससे बचने के लिए कोई और रास्ता ही नहीं है ।

उन्होंने आरोप लगाया कि राजनेता अपना वोट बैंक भरने के चक्कर में स्थिति को और बदतर बना रहे हैं । उन्होंने बहुसंख्यक समुदाय से एकजुट होने का आह्वान किया । उन्होंने बताया कि किस प्रकार एस.एन.डी.पी. और नायर सर्विस सोसाइटी पर केवल इसलिए लगातार हमले किए जा रहे हैं कि वे अपने समर्थकों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं । उनके इस भाषण की बात 3 जनवरी को सुबह समाचार-पत्रों में आई थी ।

दोपहर होते होते वेल्लापली पर तरह-तरह के आरोप उछाले जाने लगे । वह अपने समुदाय के धनी वर्ग का ही ध्यान रखते हैं... वह सांप्रदायिक घृणा का माहौल तैयार कर रहे हैं ...उन्हें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का काम करने में भी कोई शर्म नहीं है ...ऐसे में भाषण की स्वतंत्रता की बात कहाँ है ? इस तरह के शाब्दिक या मौखिक आतंकवाद में तर्क संगत मूल्यांकन कैसे बचा रह सकेगा? लेकिन इस तरह का शाब्दिक या मौखिक आतंकवाद फैलानेवाले लोग एक रणनीति के तहत ऐसा करते हैं, जिसका उद्देश्य संबंधित व्यक्ति को उस समूह विशेष -'निम्न जाति', 'अल्पसंख्यक', 'मजदूर' - के विरोधी के रूप में दिखाना और उस समूह विशेष के दावों को सवालों के घेरे से बाहर रखना होता है ।

एक अन्य परिणाम भी है, जिसका प्रभाव सरकारी व्यवस्था की सक्षमता तथा उसके अंतर्गत स्वतंत्रता पर भी पडता है । मैं जो कुछ करता हूँ, उसका परिणाम न केवल मेरे प्रयास और मुझे उपलब्ध अवसर पर निर्भर करेगा, बल्कि परिस्थिति पर भी उतना ही निर्भर करेगा - उदाहरण के लिए, उस दिन उस मामले पर दूसरों द्वारा किया गया प्रयास; उसी तरह जैसे कोई खबर कल के समाचार-पत्र में मुख पृष्ठ पर छपेगी या नहीं, यह कुछ इस बात पर भी निर्भर करता है कि उस दिन हुआ क्या है ।और परिणाम अवसर पर निर्भर करता है ।

आज जैसा हमने प्रगतिशील न्यायाधीशों के नियम-निर्देशों में देखा, 'सामाजिक न्याय' का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि सरकार को सभी के लिए परिणामी समानता सुनिश्चित करनी चाहिए, कुछ मामलों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ विशेष वर्गों के सदस्यों को परिणामी समानता सुनिश्चित कराए, भले ही वे इसके लिए कोई भी प्रयास न कर रहे हों -देखें, किस तरह अर्हता-स्तर और अंकों को लगातार नीचे ले जाया जा रहा है और वह भी कुछ विशेष जातियों के अभ्यर्थियों के लिए ही ।

चूँकि एक के बाद एक समूह स्वयं को पिछडे वर्ग में सूचीबद्ध करवाने में सफल होते जा रहे हैं, अतः सरकार का उत्तरदायित्व क्षेत्र भी बढता जा रहा है - देखें, किस प्रकार व्यक्तिगत क्षेत्र में भी आरक्षण की संभावना तैयार हो रही है । आपने देखा होगा कि वे ही लोग - जो सरकार द्वारा कानून-व्यवस्था बनाए रखने या आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अधिकारों की बात किए जाने की पर उसकी निंदा करना अपनी आदत बना चुके हैं - यह माँग करते हैं कि सरकार गरीबी हटाने के लिए, सामाजिक न्याय देने के लिए अधिक-से-अधिक प्रयास करे ।

ये माँगें भी उस समय उठाई जा रही हैं, जब सरकार कम-से-कम कर पाने में सक्षम है ।सच, राजनीतिक वर्ग जो छूटें दे रहा है, वे सीमित हैं तो सिर्फइस कारण कि सरकार के पास संसाधन सीमित हैं ।

इसके परिणाम अवश्यंभावी हैं । दबाव में आकर सरकार को एक के बाद एक छूटें देनी पडेंगी । चूँकि सामाजिक न्याय पर दावा करनेवाले समूहों की संख्या कम नहीं है, यह और भी बढ सकती है और इनकी माँगें अकसर एक-दूसरे की माँगों से टकरा जाती हैं, अतःसरकारी व्यवस्था अक्षम हो जाएगी ।देखें मायावती के दलितों और मुलायम सिंह के पिछडों की माँगों में टकराव के परिणामस्वरूप उत्तर प्रदेश में प्रशासन और विकास की क्या स्थिति हो गई है । प्रत्येक समूह का नेता, जो कुछेक न्यायाधीशों और टिप्पणीकारों द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है, एक परिणामशून्य मानसिकता तैयार करता है । यह मानसिकता दोषारोपण में बदल जाती है, क्योंकि सामाजिक न्याय के प्रतिद्वंद्वी दावों के कारण उत्पन्न अक्षमता के चलते परिणाम इतनी तेजी से नहीं बढता जितना तेजी से बढना चाहिए - उत्तर भारत में अवस्फीति की स्थिति देखें ।

ऐसी दो प्रत्यक्ष विरोधाभासी बातें देखने को मिलती हैं -एक ओर चूँकि सरकार अपने आश्वासनों को पूर्ण करने में असफल रह जाती है, अतःवह अपनी वैधता और प्रभावशीलता खो बैठती है और दूसरी ओर, सरकारी व्यवस्था को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है ।अतः सारे साधक इसमें लग जाते हैं । आप स्वयं देखें, इन दिनों चुनाव जीतने के लिए किसका इस्तेमाल किया जा रहा है । इससे समस्या और बढ जाती है, विकास बाधित हो जाता है, नियमों-कानूनों का उल्लंघन होने लगता है और सरकारी व्यवस्था लगातार अक्षम होती चली जाती है.... । चूँकि सरकार अपनी प्रभावशीलता खो देती है, अतः कानूनों और नियमों का खुलकर उल्लंघन होने लगता है और पुलिस तथा सिविल सेवा जैसी संस्थाओं में भी अव्यवस्था फैल जाती है ।

- शेष अगले अंक में

'सामाजिक न्याय' का यह अर्थ लगाया जा रहा है कि सरकार को सभी के लिए परिणामी समानता सुनिश्चित करनी चाहिए, कुछ मामलों में यह भी कहा जा रहा है कि सरकार कुछ विशेष वर्गों के सदस्यों को परिणामी समानता सुनिश्चित कराए, भले ही वे इसके लिए कोई भी प्रयास न कर रहे हों - किस तरह अर्हता-स्तर और अंकों को लगातार नीचे ले जाया जा रहा है और वह भी कुछ विशेष जातियों के अभ्यर्थियों के लिए ही ।

दबाव में आकर सरकार को एक के बाद एक छूटें देनी पडेंगी । चूँकि सामाजिक न्याय पर दावा करनेवाले समूहों की संख्या कम नहीं है, यह और भी बढ सकती है और इनकी माँगें अकसर एक-दूसरे की माँगों से टकरा जाती हैं, अतःसरकारी व्यवस्था अक्षम हो जाएगी ।

अरूण शौरी की पुस्तक 'आरक्षण का दंश' से

मोदी सरकार ओ.बी.सी जातियों के ''सब केटेगराइजेशन'' की प्रक्रिया शुरू करेगी ?

जस्टिस जी. रोहिणी कमिशन की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी के सब केटेगराइजेशन की संभावना प्रबल हो रही है

* भाजपा को आशंका है कि, सपा, आरजेडी व नीतीश कुमार की जद (यू) जैसी पार्टियों जातिगत सर्वे के आधार पर लोकसभा चुनाव से पहले मंडलीकरण की राजनीती और तेज कर देगी।

* मोदी सरकार का प्रयास ओबीसी वर्ग की अति पिछड़ी जातियों तक यह सन्देश पहुंचाना है कि ओबीसी आरक्षण का बड़ा भाग प्रभुत्व सम्पन्न पिछड़ी जातियां इससे वंचित हो रही है।

3 गौरतलब है कि, नीतीश कुमार की जात आधारित जनगणना के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं पटना हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है और अब नीतीश जात आधारित सर्वेक्षण की प्रक्रिया पुन: शुरू कर सकते है।

नई दिल्ली। भाजपा को इस बात से बहुत बड़ा धक्का लगा है कि, पटना उच्च न्यायलय ने मंगलवार को वे सारी याचनाएं खारिज कर दी, जो नीतीश कुमार सरकार द्वारा जातिगत सर्वे करने की पहल के खिलाफ दायर की गयी थी। अब केंद्र में सत्तारूढ भाजपा ने 2024 के चुनावों से पहले देश के जातीय समीकरणों को बारीकी से देखना शुरू कर दिया है।

जहाँ इस बात की संभावना है कि बिहार सरकार उस जातिगत सर्वे को फिर से शुरू कर देगी, जो मई में उच्च न्यायलय के हस्तक्षेप के बाद रोक दिया गया था। वही ऐसी अपेक्षा है कि ओबीसी जातियों के उप ''सब कैटेगराजेशन'' पर जस्टिस जी. रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट के अंतिम रूप में आने के बाद, केंद्र सरकार भी सक्रिय हो जायेगी तथा समानान्तर गतिविधि शुरू कर देगी।

ज्ञातव्य है कि जस्टिस जी. रोहिणी आयोग को यह काम सौंपा गया था कि वह ओबीसी जातियों में आरक्षण के लाभों के असमान विवरण की सीमा की जांच करे। बताया जाता है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू को सौंप दी हैं। छ: साल पहले गठित किये गए इस आयोग ने कार्यावधि में 13 बार वृद्धि किये जाने के बाद, अंततोगत्वा अपना काम पूरा कर लिया गया है।

समझा जाता है कि इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में ओबीसी के अंदर सब केटेगराइजेशन के लिए वैज्ञानिक आधार पर मानदंडो (क्राइटेरिया नार्म्स एंड पैरामीटर्स) की अनुशंसा की है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, भाजपा को ओबीसी का ठोस समर्थन हासिल हुआ है ओर इस समर्थन का एक बड़ा कारण पार्टी की वे नीतियाँ रही हैं जो ओबीसी के उपेक्षित समुदायों को आरक्षण का लाभ देने के लिए अपनायी गयी है। इस आयोग की सिफारिशे सत्तारूढ दल को ऐसा आधार प्रधान कर देंगी कि पार्टी उन ओबीसी समुदायों के लिए उपयोगी नीतियां बना सके, जो अब तक यथेष्ट संरक्षण से वंचित रहे हैं।

पिछले वर्षों में भाजपा नेता, जिनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल है, जाति आधारित पार्टियों, जैसे समाजवादी पार्टी तथा राष्ट्रीय जनता दल के घोर आलोचक रहे हैं। भाजपा के अनुसार इन जाति आधारित पार्टियों ने अवसरों का बहुत बड़ा हिस्सा ओबीसी की समर्थ एवं सक्षम जातियों को दे दिया हैं तथा कमजोर तबके भूखे मर रहे है। भाजपा प्रकटत: जातीगत जनगणना का विरोध करती आ रही है क्योंकि उसका मानना है कि इससे पार्टी द्वारा ओबीसी समुदाय के साथ सुविचारित रूप से बनाये गये समीकरण बिगड़ जायेंगे।

आरक्षण 27 प्रतिशत करने का मामला.... रोक एमपी में, झटका राजस्थान को

जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के 50 प्रतिशत से अधिक जाति आधारित आरक्षण पर रोक लगाने से राजस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण 21 प्रतिशत से बढाकर 27 प्रतिशत करने की कवायद को झटका लगा सकता है।

दरअसल, मध्यप्रदेश में पिछड़ा वर्ग आरक्षण को 14 प्रतिशत से बढाकर 27 प्रतिशत कर दिए जाने से आरक्षण 63 प्रतिशत हो गया था। जिसमें आर्थिक पिछड़ा वर्ग का 10 प्रतिशत आरक्षण शामिल नहीं है।

राजस्थान में वर्तमान में आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए 10 और जातियों के पिछड़ेपन के आधार पर 54 प्रतिशत आरक्षण है। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने जातियों के पिछड़ेपन पर आधारित आरक्षण को लेकर स्पष्ट किया है कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं दिया सकता।

न्यायाधीश शील नागू और न्यायाधीश अमरनाथ केसरवानी की खंडपीठ ने यूथ फॉर इक्वेलिटी संगठन की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। याचिका में कहा, राज्य सरकार ने सितम्बर 2021 में सर्कुलर जारी कर कहा कि राज्य या उसके समबद्ध निकायों की प्रक्रियाधीन भर्तियों पर 50 प्रतिशत अधिकतम आरक्षण की सीमा लागू नहीं रहेगी।

6 प्रतिशत आरक्षण बढाने की घोषणा की थी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 9 अगस्त को बांसवाड़ा जिले के मानगढ धाम में वर्तमान में जारी अन्य पिछड़ा वर्ग के 21 फीसदी आरक्षण को 6 फीसदी बढाकर उसे इस वर्ग की अति पिछड़ी जातियों के लिए रिजर्व करने की घोषणा की थी।

कोर्ट ने कहा 50 प्रतिशत की सीमा बाध्यकारी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देकर कहा कि 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं देने का आदेश बाध्यकारी है।

टिप्पणी: हथियार के रूप में हो रहा इस्तेमाल

पोक्सो व एससी-एसटी एक्ट का दुरुपयोग रोकना जरुरी : कोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पोक्सो व अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण कानून के तहत महिलाओं की ओर से झूठे मामले दर्ज करवाने की प्रवृति पर नाराजगी प्रकट की है।

कोर्ट ने कहा कि धन हड़पने के लिए निर्दोष लोगो के खिलाफ झूठी शिकायतें दर्ज कर समाज में छवि खराब की जा रही है। एक अग्रिम जमानत मामले का निपटारा करते हुए जस्टिस शेखर कुमार ने कहा की कई मामलों में महिलाएं पैसे हड़पने के लिए कानूनों का हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं। इसे रोका जाना चाहिए।

कोर्ट ने कहा - अब समय आ गया हैं कि राज्य और केंद्र सरकार को भी इस गंभीर मुद्दे के प्रति संवेदनशील होना चाहिए।

अदालत ने 2011 में बलात्कार की घटना के आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी मंजूर करते हुए इंगित किया प्रथम द्रष्टया धारा 161 और 164 के तहत दर्ज पीड़िता के बयान में भौतिक विरोधाभास है।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि पूरा मामला झूठा पाया जाने पर शिकायतकर्ता के खिलाफ आपराधिक कार्रवाही की जाए और सरकार की ओर से पीड़िता को कोई भी पैसा दिया जाता है, उसे भी वसूल किया जाए।

जातिगत आरक्षण से देश और समाज की जड़े खोखली- अध्यक्ष समता आन्दोलन

बारां। समता आन्दोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पाराशर नारायण शर्मा ने कहा कि जातिगत आरक्षण देश और समाज की जड़ों को खोखली कर रहा है। सामाजिक समानता के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े और जरूरतमंद युवाओं को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिये। राष्ट्रीय अध्यक्ष शर्मा ने नाकोडा कॉलोनी स्थित आर.के. गार्डन में समता आन्दोलन समिति के स्थापना दिवस समारोह आयोजन में मुख्य वक्ता के रूप में सम्बोधित करते हुये कही। इन्होंने कहा कि संविधान में आरक्षण का प्रावधान होने के बाद भी आरक्षित वर्ग के पिछड़े व शोषित वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग भी समता आन्दोलन के साथ जुड़कर इस मुहिम को आगे बढा रहे है।

शर्मा ने कहा कि अनुसूचित जाति-जनजाति वर्ग के सक्षम लोगों की लोबी अपने परिवार को लाभ देने के लिए उनके ही वर्ग के पिछड़े लोगों को भ्रमित कर उन्हें आरक्षण के वास्तविक लाभ से वंचित रखे हुये है। शर्मा ने कहा कि आज सभी सरकारे जातिवाद तथा साम्प्रदायिकता की राजनीति करने में जुटी हुई है। जबकि समता आन्दोलन एक गैर जातिगत, गैर साम्प्रदायिक तथा गैर राजनैतिक आन्दोलन है। और आरक्षण का लाभ आरक्षण वाजिब हकदारों तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध है। उन्होंने यह भी कहा कि संविधान के समक्ष भारत के सभी नागरिक समान है जबकि सरकारें आरक्षण के नाम पर समाज को बांटकर अपना राजनैतिक लाभ प्राप्त करने में जुटी हुई है। हम भारत को एक सशक्त देश तभी बना पायेंगे तब आरक्षण का लाभ अंतिम पंक्ति खड़े हुये व्यक्ति तक पहुंचे। समता आन्दोलन इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है। इस अवसर पर ललित मोहन खण्डेलवाल, समारोह समिति के संभागीय अध्यक्ष अनिल तिवाडी, महामंत्री कमल सिंह बडगुजर, पेंशनर समाज के दिनेश गुप्ता, जिला अध्यक्ष डा. धर्मेन्द्र शर्मा आदि ने समतामूलक विचार प्रकट किये। कार्यक्रम में डा. हेमराज भारद्वाज, प्रहलाद राठौड, भानू पोरवाल, योगेश कुमरा, डा. नासिर हुसैन, सरोज दीक्षित, महिला प्रकोष्ठ की कैलाश मेवाडा, रामेश्वर दयाल शर्मा, सहित सैकड़ो लोग उपस्थित थे। संजय गर्ग, भगवान शर्मा, सुनील शर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया।

न कोई जाति न कोई वर्ण सारे भारतीय सवर्ण।

प्रकाशक, मुद्रक, स्वामी-समता आंदोलन समिति, प्रकाशन स्थान- 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर, मुद्रण स्थान- इन्दु प्रिण्टर्स, कुचीलपुरा बीकानेर, सम्पादक-योगेश्वर शर्मा। Website:www.samtaandolan.co.in